

Northern Region-1 Headquarters, Bay No. SCO - 5-10, Sector-16A, Faridabad, Haryana-121002 Phone  
No.0129-2666305

Ref:POWERGRID/NR-I/RTI/1904/

1203

Dt.09.10.2020

सेवा में,

श्री अजय गुप्ता, एडवोकेट  
चैम्बर न0 11, जिला न्यायालय परिसर, नारनौल,  
तहसील नारनौल, जिला महेंद्रगढ़ (हरियाणा)

विषय :आपके आर टी आई प्रार्थना पत्र दिनांक 08.09.2020 के संदर्भ में।

महोदय,

आपके आर. टी. आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 08.09.2020 जो कि पावरग्रिड नीमराणा कार्यालय में दिनांक 22.09.2020 को प्राप्त हुआ के संदर्भ में आपको बिंदुवार सुचित किया जाता है:

1.बिंदु न.3(ए): उपरोक्त 400 के वी भिवाड़ी-हिसार लाइन की स्ट्रिंगिंग करते समय अजय गुप्ता पुत्र श्री इंद्रजीत गुप्ता की भूमि अंतर्गत खसरा न. 48 03 /2 (4 -6), 4804/2(3-16 ) कुल क्षेत्रफल 8 बीघा 2 बिस्वा का जो मुआवजा निर्धारण किया गया था , उक्त मुआवजा निर्धारण के आदेश की सत्यापित प्रति दी जावे |

**Information to Point No.3(A):** In this regard it is to inform you that no separate order is issued for compensation payment. The details of compensation paid to you duly signed by Patwari Naunaul and POWERGRID Official is attached.

2. बिन्दु न. 3(बी): उपरोक्त 400 के वी भिवाड़ी-हिसार लाइन की स्ट्रिंगिंग करते समय प्रवीण गुप्ता पुत्र श्री प्रेमनाथ गुप्ता की भूमि अंतर्गत खसरा न. 3505/3 (6 -6) कुल क्षेत्रफल 6 बीघा 6 बिस्वा का जो मुआवजा निर्धारण किया गया था , उक्त मुआवजा निर्धारण के आदेश की सत्यापित प्रति दी जावे |

❖ **जानकारी:** मांगी गई जानकारी आर. टी. आई. अधिनियम के नियम 8(1) (g) and (j) के तहत नहीं दी जा सकती |

3 बिन्दु न. 3(सी): उपरोक्त 400 के वी भिवाड़ी हिंसार हाई पावर टेंशन लाइन की डी स्ट्रिंगिंग व स्ट्रिंगिंग करने के लिए भूमि अंतर्गत खसरा न. 3507 में जो टावर निर्मित किया गया था उक्त टावर जिस भूमि पर निर्मित किया गया उसका मुआवजा किस किस व्यक्ति को दिया गया उस बारे सूचना दी जावे तथा उक्त टावर के निर्धारण के आदेश की सत्यापित प्रति दी जावे उक्त खसरा न. 3508 के सन्दर्भ में भू-स्वामी द्वारा दिए गए मुआवजा निर्धारण के आदेश की सत्यापित प्रति दी जावे /

❖ **जानकारी:** 400 के वी भिवाड़ी-हिसार हाई पावर टेंशन लाइन की डी स्ट्रिंगिंग व स्ट्रिंगिंग करने के लिए भूमि अंतर्गत खसरा न. 3507 में कोई टावर निर्मित नहीं है, न किसी को कोई मुआवजा प्रदान किया गया है | तथा खसरा न. 3508 में भी कोई टावर निर्मित नहीं है , न किसी को कोई मुआवजा प्रदान किया गया है |

अपीलीय प्राधिकारी का विवरण

Shri D.K.Singh, Executive Director(NR-I), First Appellate Authority,  
Power Grid Corporation of India Ltd., NR-IHQ, SCO Bay No.5-10, Sector-16A,  
Faridabad (Haryana)-121002, Phone No.0129-2666301

धन्यवाद |

भवदीय

J. नारायण  
[आर. नागपाल] 9/10/20

मुख्य महाप्रबंधक (पी .ई .एस .एम)  
एवं अधिकृत सी पी आई ओ, पावरग्रिड, उ. क्षे. -1

Copy to: NIO: GM (Vigilance), NR-I: for information, please.

ok

पटवार क्षेत्र ... नारनौल ..... तहसील ..... नारनौल .....


जिला ..... महेंद्रगढ़ ..... दिनांक ... 11.08.2020 ...

DFCCIL के नये ट्रैक के निर्माण कार्य के वजह से, 400 KV S/c हिसार-बिवाड़ी पारंपण लाइन के टावरों के जायवर्जन के समय क्षतिग्रस्त फसल का मुआवजा निर्धारण।

क्षतिग्रस्त फसल का मुआवजा निर्धारण।

नाम	कार्य दिनांक	टावर क्रमांक	कार्य का विवरण	फसल नाम	नगरा संख्या एवं गांव का नाम	क्षतिग्रस्त फसल का नाम	क्षतिग्रस्त फसल का क्षेत्रफल (sq-meter)	क्षतिग्रस्त फसल का क्षेत्रफल (in Hectare per sqm <sup>2</sup> )	कुल क्षेत्रफल (हेक्टर)	प्रति हेक्टर उत्पाद (kg)	कुल उत्पादन (तुन)	दर प्रति टन	कुल मुआवजा राशि (₹)	अन्य विवरण
174	10.07.2020	350A	Stringing Work	Aljay Gupta S/o Indrajit	4803/2 & 4804/2	Bajra	7500	0.0001	0.75	2491.89	18.6892	1950	36443.891	

  
पटवार क्षेत्र ... नारनौल

  
सुरेश सिंह - नारनौल  
उप-प्रबन्धक  
पावर डिप्ट. अभियान्तन उपकेन्द्र  
शाहजहाँपुर, अलावर (राज.)